न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 3 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024 / 25

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. जवाहरमल पुत्र हीरा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 2. देवीलाल पुत्र सुरजमल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 3. धनराज पुत्र हीरा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 4. नेनु पुत्र बगतावर जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 5. नेनुदेवी पत्नि चम्पा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 6. नारायण पुत्र मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 7. नोसर पुत्री मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 8. पन्नालाल पुत्र मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 9. प्रेमदेवी पुत्री चम्पा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 10. बालू पुत्र मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 11. बाली पुत्री मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 12. मांगू पुत्र कंजु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 13. राधेश्याम पुत्र चम्पा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 14. रामा पुत्र कंजु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 15. शंकरलाल पुत्र मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 16. शिवलाल पुत्र मोहन जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 17. हेमा पुत्र सुरजमल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर		1. गोरधनलाल पुत्र घीसा खाती निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 2. जगदीशी पत्नि घीसा खाती निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 3. रूकमणी पत्नि मांगीलाल खाती निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 4. जीवराज पुत्र मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 5. पारसलाल पुत्र मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 6. रामप्रसाद पुत्र मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 7. सायरीदेवी पत्नि मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिशचन्द्र टेलर, विप्रार्थी 4 से 7 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

—: निर्णय :—

दिनांक :— 15/11/25

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1982 रकबा 0.02 है0, व आराजी चाह संख्या 1984 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 93 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 पेश की है। प्रार्थीगण उक्त चाह पर आवागमन सदैव मौके पर बने रास्ते जो नाथड़ियास से गोटरो का खेड़ा जाने वाले रास्ते से होता हुआ विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 1983 रकबा 0.35 है0 की पूर्वी पाली व विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 7 की आराजी संख्या 1995 रकबा 0.38 है0 की पि चमी पाली अर्थात दोनो आराजियात मे से मौके पर 12 फीट चौड़ाई में रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी दोनो चाह पर आवागमन वर्षो से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण चाह पर आवागमन करने का रास्ता 100 वर्षो से अधिक समय से पुराना है जो वर्तमान में मौके पर विपक्षीगण की आराजियात संख्या 1983 जो आराजी संख्या 2084 के सटमा है। आराजी संख्या 2084 में मौके पर रास्ता बना हुआ है जो आगे गोटरो का खेड़ा ग्राम में जाता है जिसे नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने दोनो चाह में आवागमन सदैव पैदल, संज बैल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने अवैध रूप से पत्थर डालकर अवरोध कर एवं तारबन्दी कर कच्ची दीवार चुनकर रास्ता बन्द कर दिया है।

02. प्रार्थीगण को आवागमन करने में रोक लगा दी है वर्तमान में चाह से सिचित भूमियां बिना फसल बोये पड़े है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग नही है। उक्त रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की सुविधा का नही है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1995 रकबा 0.38 है0 भूमि के मध्य पाली से एवं आराजी संख्या 1994 की पश्चिमी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार डी.एल.सी. दर की राशि की अदायगी विपक्षीगण को करवाई जाकर उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु. बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज करवाये जाने का तहसीलदार रायपुर के नाम आदेश फरमाया जावें।

03. प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 17.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिशचन्द टेलर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

04. विप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की होकर उक्त आराजियात में कुओं के साथ—साथ देवता का स्थान भी है। उक्त दोनो चाह आराजी पर प्रार्थीगण आराजी संख्या 1983 व 1995 की मध्य पालियो से होकर नही आते जाते है बल्कि ग्राम गोटरोकाखेड़ा के आम रास्ते होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 1981, 1983 की मध्य पाली पर स्थित रास्ते से होते हुए आवागमन करते है और उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की स्वंय की आराजियात संख्या 1996, 1997, 1998, 1994, 2999, 2998, 2996, 2997 स्थित है जिसे उक्त वर्णित आराजियात में होकर फिर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 1983 की दक्षिणी पाली पर होकर सीधे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1982, 1984 पर भी आवागमन होता चला आ रहा है। विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 7 की कृशि आराजी संख्या 1995 के चारो तरफ वर्षो पुरानी सीमेन्टेड दीवार करवा रखी है जिससे साफ जाहिर से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी से आवागमन नही किया है। आवागमन करने का वर्शो पुराना रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 1981 व 1983 की मध्य पाली पर स्थित है। आराजी संख्या 2084 में रास्ता बना होना स्वीकार जो मोटरो का खेड़ा जाता है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 1995 में दीवार बनी होकर कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थीगण के पास दो वैकल्पिक रास्ते मौजुद है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता नही होकर सुविधाजनक मांगा रास्ता साबित है, इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात चाह में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता बंद नही है। उक्त दोनो वैकल्पिक रास्ते पर खुले हुए है।

05. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 1983 व विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 की आराजी संख्या 1995 की पश्चिमी पाली पर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राज0/2025/891 दिनांक 04.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. यह है कि प्रार्थीगणों के कुओं की भूमि ग्राम नाथड़ियास की आराजी संख्या 1982 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1984 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा में आवागमन हेतु विपक्षी की संख्या 1995, 1984, 1983 में रास्ता हेतु दर्ज करवाना चाहते है। उक्त आराजी में वर्तमान में कोई रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है।

ii. यह है कि वर्तमान में मौके पर खेत खाली पड़े है जिससे आराजी संख्या 1995, 1984 की की पश्चिमी व 1983 की दक्षिणी सीमा पर होकर आवागमन चालु है। फसल के समय आराजी संख्या 1995 का खातेदार रास्ता बन्द कर देता है, लोहे का गेट होने से ताला लगा देता है।

iii. यह है कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

iv. यह है कि आराजी संख्या 2084 खातेदारी भूमि में मोटरा का खेड़ा की नदी में जाने वाले मौके पर स्थित रास्ते के पास प्रतिवादी संख्या 4 सो 7 तक की भूमि आराजी संख्या 1995 रकबा 0.38 है0 की उत्तरी सीमा पर लोहे के गेट लगा रखे है जिसमें से पश्चिमी गेड़ व वादीगण की आराजी संख्या 1994 के पश्चिमी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक की भूमि आराजी संख्या 1983 के दक्षिणी पाली पर होकर वर्तान में आवागमन किया जा रहा है। उक्त फसल विपक्षीगण आराजी संख्या 1995 से स्थित फाटक के ताला लगा देते है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

v. यह है कि प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 1995 रकबर 0.38 है0 किस्म चाही। मे से पश्चिमी सीमा पर 54X4=216 वर्गमीटर खातेदारी (विपक्षी संख्या 4 से 7) आराजी संख्या 1994 रकवा 0.54 है0 के दक्षिणी सीमा पर 20X4=80 वर्गमीटर खातेदारी (विपक्षी संख्या 1 से 3) में प्रस्तावित है जिसकी वर्तमान रिंचित पास डीएलरी दर 840000/–रूपये प्रति हैक्टयर है।

vi. आराजी संख्या 1995 के उत्तरी पश्चिमी कोने से पक्की दीवार व पानी की कुण्डी होने से पूरा रास्ता नही देना चाहते है व पास की आराजी संख्या 1983 की पूर्वी सीमा पर रास्ता निकालना चाहते है जिससे विपक्षी आपस में सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

vii. आराजी संख्या 1981 व 1983 मौके पर एक ही चक में संलग्न है। अतः आराजी संख्या 1981 के पश्चिमी सीमा पर वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है।

06. तहसीलदार रायपुरसे जरिए पत्रांक/राज0/2025/1062 दिनांक 12.09.2025 प्राप्त रिपोर्ट, में पूर्व मे प्राप्त मौका रिपोर्ट के तथ्यों के अतिरिक्त अन्य निम्न तथ्य अंकित किए गए जो इस प्रकार है :–

i. ग्राम नाथड़ियास की आराजी संख्या 1982 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा 1984 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा प्रार्थी के नाम दर्ज होकर सामलाती कुआं है। आराजी संख्या 2084 रकबा 0.46 है0 किस्म चाही।।। शान्तिलाल पुत्र मदनलाल पितलिया (जैन) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी दक्षिणी मेड़ पर मौके पर रास्ता बना हुआ है जो नाथड़ियास से मोटराकाखेड़ा की तरफ जाता है उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही है। उक्त मौके के रास्ते से आराजी संख्या 1995, 1994 की पश्चिमी सीमा व 1983 की दक्षिणी सीमा से आवागमन किया जाता था। आराजी संख्या 1995 में रास्ता बन्द किया गया है।

ii. आराजी संख्या 2085 व 2084 खातेदारी कृशि भूमि है जिसके मौके पर दक्षिणी मेड़ पर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है।

iii. आराजी संख्या 1996 रकबा 0.41 है0 प्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 के नाम दर्ज रेकार्ड है व आराजी संख्या 1994 रकबा 0.77 है0 प्रार्थीगण संख्या 5, 12, 13, 14 के नाम दर्ज रेकार्ड है।

iv. आराजी संख्या 2084 में मौके पर स्थित रास्ते में प्रार्थीगणो की भूमि आराजी संख्या 1996 की पश्चिमी सीमा आराजी संख्या 1994 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर आवागमन किया जा सकता है जो उक्त भूमि प्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है।

v. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1983 रकबा 0.35 है0 मे से 20X4=80 वर्गमीटर भूमि के बदले प्रार्थीगणो की भूमि खसरा संख्या 1994 रकबा 0.77 है0 मे से दिया जा सकता है।

07. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1982, 1984 के लिए रास्ता चाहा गया है। आराजी संख्या 2084 रास्ते पर केवल सड़क है परन्तु उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है। विपक्षीगण ने आराजी संख्या 1983, 1995 के बीच रास्ता अवरूद्व कर दिया जिससे प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुँच अवरूद्व हो गई है। विपक्षीगण के जवाब की कलम

सहायक कलक्टर

संख्या 5 में वैकल्पिक रास्ता बताया गया है। मौका रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 4 से 7 तक अपनी आराजियात में रास्ता छोड़ने पर सहमत है। विपक्षी संख्या 1 से 3 तक रास्ता देने के लिए सहमत नही है परन्तु एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। मौका रिपोर्ट में संलग्न नक्शे गेंहरे रंग के वैकल्पिक रास्ते के रूप में एक रास्ते की संभावना बताई गई है लेकिन उक्त संभावित रास्ता मौके पर उपयोग नही हो रहा है। आराजी संख्या 1996 व 1994 प्रार्थीगणो की आराजी है। मौका रिपोर्ट की कलम संख्या एक में बताया गया है कि आराजी संख्या 1995 में रास्ता बंद किया गया है। प्रकरण में सीपीसी 151 का प्रार्थना पत्र मौके पर निर्माण रोकने के लिए लगाया गया था। कानूनी रूप से रास्ते के प्रकरण में भूमि के बदले भूमि का कोई प्रावधान नही है। प्रकरण में धारा 251ए की मंशा पूर्ण रूप से लागु है। चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता है। विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा अपनी आराजियात मे रास्ता देने में सहमति व्यक्त की गई जिसके सम्बन्ध में नजीरे पेश की जो निम्न है:— 1. आरआरटी 2022 (2) के पैरा संख्या 8 पेज संख्या 1219 पे I की है। 2. आरआरटी 2022—2023 (सप्ली.) के पैरा संख्या 8 पेज संख्या 43 पेश की है। धारा 251ए के सभी बिन्दु जैसे सहमति व्यक्त करना, वैकल्पिक रास्ता चालु न होना जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए।

08. विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट की सही व्याख्या नही करी है। वैकल्पिक रास्ता किसी अन्य खातेदार की जमीन में हो तो ही माना जाएगा। स्वयं की भूमि से आवागमन करना वैकल्पिक रास्ता नही माना जाता है। आराजी संख्या 1982 व 1984 में देवता के स्थान बने हुए है। दोनो कुएं प्रार्थीगण के नाम पर है। आराजी संख्या 2084, 2000 में भी रास्ता दर्ज नही है अतः आराजी संख्या 2084, 2000 के खातेदार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था और रास्ता दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए था। आराजी संख्या 1983 एवं 1995 के मध्य में दीवार व गेट लगा हुआ है। आराजी संख्या 1995 की पश्चिमी सीमा पर पुरानी बाड़ है। आराजी संख्या 1996 रास्ते के सटमा है जिसके प्रार्थीगण स्वयं खातेदार है। आराजी संख्या 1994 प्रार्थीगण की आराजी है, यह पुख्ता रास्ता कहा जाएगा। आराजी संख्या 1983 में थोड़ा सा रास्ता दर्ज कराने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वयं की आराजियात से होते हुए आराजी संख्या 1982, 1984 में आवागमन हो रहा है। मौका रिपोर्ट त्रुटिवश विपरीत लिखा गया है, विपक्षी संख्या 1 से 3 अपनी आराजियात मे से रास्ता देने को सहमत है। विपक्षी संख्या 4 से 7 अपनी आराजियात मे से रास्ता देने हेतु असहमत है। आराजी संख्या 1995 में कुण्डी एवं दीवार बनी है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजियात मे से होते हुए आराजी संख्या 1982, 1984 तक आवागमन किया जा सकता है यह रास्ता पुख्ता रास्ता कहलाता है।अतः पुख्ता रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र को सशुल्क खारीज किया जाए।

09. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी अधिववता की बहस पर पुनः बहस में निवेदन किया कि आवागमन के मार्ग में पक्की दीवार सीपीसी प्रार्थना पत्र 151 दिनांक 11.01.2024 को पेश करने के बाद बनाई गई है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व ही उक्त दीवार बना दी गई थी। आराजी संख्या 1995 जिसमें रास्ता चाहा गया है वह आराजी संख्या 1982, 1984 जो कुएं है उन्ही से पिवल है।

10. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251—क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबंध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसार:—

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)रामपुर

धारा 251क–<u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :–(1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी संख्या 1996 आराजी संख्या 2084 से लगी हुई है एवं आराजी संख्या 2084 पर मौके पर केवल सड़क बनी हुई है, इससे आगे आराजी संख्या 1994 प्रार्थीगण की ही आराजी है। आराजी संख्या 1996 से आराजी संख्या 1994 से होते हुए आराजी संख्या 1983 मे से होकर आराजी संख्या 1982 व 1984 में जाया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को आराजी संख्या 1983 में ही लघुतम रास्ते की आवश्यकता है जिसे दे दिए जाने पर आवागमन सुगमता से किया जा सकेगा। इस प्रकार कृषि भूमि का ह्रास भी न्यूनतम होगा। अतः आराजी संख्या 1983 की दक्षिणी मेड़ पर 4 मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। आराजी संख्या 1983 के खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत भी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए आराजी संख्या 1983 की दक्षिणी मेड़ पर 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 1983 मे 4 मीटर चौड़ाई में 20 मीटर लम्बाई में कुल 80 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आने से भूमि की

डीएलसी दर 840000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से भूमि कीमत 6720 रूपये बनते है जिसकी दुगुनी राशि 13440/–रूपयें बनते है। जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है। प्रार्थीगण भूमि कीमत राशि 13440/–रूपये का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 3 को करते हुए रास्ता प्राप्त करे अथवा विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रार्थीगण के सहमत होने पर भूमि के बदले भूमि आराजी संख्या 1994 मे से 80 वर्गमीटर भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को दी जाकर रास्ता तरमीम किया जावे। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आशिंक साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास के आ.स. 1982, 1984 भूमि में पहुंच हेतु खसरा संख्या 1983 रकबा 0.35 है0 मे से 4 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लम्बाई में रकबा 0.0080 है0, भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 13440/–(अक्षरे चोदह हजार चार सौ चालीस) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे अथवा विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रार्थीगण के सहमत होने पर भूमि के बदले भूमि आराजी संख्या 1994 मे से 80 वर्गमीटर भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को दी जाकर रास्ता तरमीम किया जावे। तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/1/26 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा